रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-06122022-240827 CG-DL-E-06122022-240827

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5447] No. 5447] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 6, 2022/अग्रहायण 15, 1944 NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 6, 2022/AGRAHAYANA 15, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2022

का.आ. 5679(अ).—केन्द्रीय सरकार, ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 5113(अ) दिनांक 09 दिसंबर 2021, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा कर्नाटक राज्य के चिकमगलूर जिले में NH234 के कि.मी. 194.900 से कि.मी. 243.200 (बनावरा-हुलियार खंड) तक के भूखण्ड पर के निर्माण, (चौड़ाई / चार लेन आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी:

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "12.02.2022" को "प्रजावाणी" और "डेक्कन हेराल्ड" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

8094 GI/2022 (1)

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

कर्नाटक राज्य के चिकमगलूर जिले में NH234 के कि.मी. 194.900 से कि.मी. 243.200 (बनावरा-हुलियार खंड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: कर्नाटक जिले का नाम: चिकमगलूर							
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम		
1	2	3	4	5	6		
	तालुक का नाम: व	क दर					
	गांव का नाम: तिम्लापुरा						
1	35 / 3	निजी	ड्राई	0.1	बसवराजू पुत्र टी बी शिवरामप्पा ()		
2	36 / 3	निजी	गार्डन	0.02	बसवराजू पुत्र टी बी शिवरामप्पा ()		
3	38 / 2	निजी	गार्डन	0.04	टी मरुलप्पा पुत्र स्वर्गीय थिम्मप्पा ()		
4	38 / 1	निजी	गार्डन	0.09	आरटीसी के अनुसार ()		
5	38 / 4	निजी	गार्डन	0.05	टी मरुलप्पा पुत्र स्वर्गीय थिम्मप्पा ()		
6	40	सरकारी	गभर्मन्ट्	0.06	शेंदिवाना ()		
7	41	सरकारी	गोमला / ड्राई	0.15	गोमाला/वन, रामप्पा पुत्र स्वर्गीय सोप्पिनाहल्ली रंगप्पा ()		
8	49	निजी	गार्डन	0.515	गौरम्मा पत्नी स्वर्गीय सिद्धारमैया, सिद्धारमैया पुत्र नन्नैया, शांतैया पुत्र स्वर्गीय मल्लैया, उमेश पुत्र स्वर्गीय ओंकारैया, सिद्धारमैया पुत्र चन्नाबसवैया, चन्नाबसवैया पुत्र बसवैयाह, सोमशेखरैया		

		कुल	1.0250	
				पुत्र स्वर्गीय बसवैयाह (49 (49/2, 49/3,49/4, 49/5, 49/9, 49/10))

फा. सं. NH-234-KNT-2017-18-870/3D3]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 6th December, 2022

S.O. 5679(E).— In—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. 5113(E) dated 09th December 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four laning etc.,), Maintenance, management and operation of NH234 on the stretch of land from Km. 194.900 to Km. 243.200 (Banavara-Huliyar Section) in the district of CHIKKAMAGALURU in the state of KARNATAKA;

And whereas the substance of the said notification has been published in "Prajavani" and "Deccan Herald" both dated 12.02.2022; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 194.900 to Km. 243.200 (Banavara-Huliyar Section) on NH234 in the state of KARNATAKA.

State: KARNATAKA		District: CHIKKAMAGALURU					
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.		
1	2	3	4	5	6		
	Taluk: Kadur						
	Village: Thimlapura						
1	35 / 3	Private	Dry	0.1	Basavaraju S/o T B Shivaramappa		
2	36/3	Private	Garden	0.02	Basavaraju S/o T B Shivaramappa		
3	38 / 2	Private	Garden	0.04	T Marulappa S/o late Thimmappa		
4	38 / 1	Private	Garden	0.09	As per RTC		
5	38 / 4	Private	Garden	0.05	T Marulappa S/o late Thimmappa		
6	40	Government	Government	0.06	Shendivana		

7	41	Government	Gomala / Dry	11015	Gomala/Forest, Ramappa S/o late Soppinahalli Rangappa
8	49	Private	Garden	0.515	Gowramma W/o late Siddaramaiah, Siddaramaiah S/o Nannaiah, Shanthaiah S/o late Mallaiah, Umesh S/o late Onkaraiah, Siddaramaiah S/o Channabasavaiah, Channabasavaiah S/o Basavaiah, Somashekaraiah S/o late Basavaiah 49 (49/2, 49/3,49/4, 49/5, 49/9, 49/10)
			TOTAL	1.025	

[F. No. NH-234-KNT-2017-18-870/3D3]

RAJESH GUPTA, Director